राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 32 / 2024

देवकरण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त झुंझुनू।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के भुगतान पर सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान करने की तिथी तक 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1988 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और मार्च 2010 में सहायक अभियंता के पद पर एवं वर्ष 2017 में अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई

थी और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 30.06.2022 के द्वारा अधिशाषी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2022 को अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6318/2022 प्रस्तुत की और माननीय अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर दिनांक 07.06.2023 को आदेश पारित किया गया और अपीलार्थी को मात्र दिनांक 14.11.2023 को उपार्जित अवकाश का भुगतान किया गया, परंतु 1 वर्ष 5 माह बाद विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। जबकि राजस्थान पेंशन सेवा नियमों के अनुसार अपीलार्थी विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के भुगतान पर सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान करने की तिथी तक 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हुआ, जिसकी पेंशन प्रक्रिया एवं डायरी क्रमांक 250 दिनांक 20.06.2022 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब मुख्य अभियंता, जयपुर के माध्यम से भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया और माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी को नियमानुसार उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यरत था और दिनांक 30.06.2022 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। विभाग द्वारा अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 6318/2022 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर दिनांक 07.06.2023 को अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश का

भुगतान करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश का भुगतान दिनांक 14.11.2023 को किया गया, जो सेवानिवृत्ति दिनांक से 1 वर्ष 6 माह पश्चात् किया जाना प्रकट होता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.07.2016 जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब पर विलम्ब अवधि के लिये ब्याज के भुगतान के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। *''यदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिवस के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी की ओर से, इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था तो सेवानिवृत्त परिलाभों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति परिलाभ प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अंत तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''* और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त नियमों के आधार पर विलम्ब से हुये उपार्जित अवकाशों का भुगतान पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी जिस तिथी से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है उस तिथी से अवधि की गणना करते हुये उपार्जित अवकाश के भुगतान की तिथी तक उपार्जित अवकाश के भुगतान की कुल राशि पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.07.2016 को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को नियमानुसार विलम्ब से किये गये उपार्जित अवकाश की भुगतान राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य